रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी नहीं। क्यूल-जमालपुर भागलपुर खण्ड (75 कि०मी०) पर कहीं-कहीं दोहरी लाइन बिछाना एक चालू अनुमोदित कार्य है। इस परियोजना के लिए 1987-88 के बजट में की गयी 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था के अलावा 3 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गयी है। सुल्तानगंज-मुरारपुर खण्ड (15 कि० मीटर) पर दोहरी लाइन बिछाने का कार्य पहले से ही शुरू कर दिया गया है। शेष खण्ड पर कार्य चल रहा है।

(ख) और (ग) अपर इंडिया एक्सप्रेस को पटना के रास्ते सियालदह और मुगलसराय के बीच 33/34 एक्सप्रेस के रूप में पुनः चला दिया गया है। यात्री 155/156 तिनसुकिया मेल, 167/168 विक्रमशिला एक्सप्रेस और 103/104 वातानुकूल एक्सप्रेस में भी यात्रा कर सकते हैं।

चूंकि जमालपुर और पटना के बीच तिनसुकिया मेल से यात्रा दिन के समय ही होती है, इसलिए आरक्षण सुविधा अपेक्षित नहीं है। तथापि, दिल्ली के लिए जमालपुर स्टेशन पर दूसरे दर्जे की तीन शायिकाओं का कोटा 1-1-88 से एक उस सवारी डिब्बे के अलावा, जिसमें सैनिक कर्मचारियों को कोटा आवंटित किया गया है, एक अन्य सवारी डिब्बे में अंतरित किया जा रहा है। जहां तक क्यूल का सम्बन्ध है, दानापुर की ओर जाने वाली 103 वातानुकूल एक्सप्रेस में वातानुकूल 2 टायर की एक तथा दूसरे दर्जे की 6 शायिकाओं का आरक्षण कोटा उपलब्ध है।

12.00 Noon

PAPERS LAID ON THE TABLE

Accounts (1986-87) of the Maulana Azad College of Technology, Bhopal and related papers

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : श्रीमन्, मैं 1986-87 के वर्ष के लिए मौलाना आजाद कालेज ऑफ टेक्नालाजी भोपाल के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) और उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित, सभा पटल पर रखती हूं। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०-5109/87]

I. Report and Accounts (1986-87) of the All India Institute of speech and Hearing, Mysore and related papers

II. Notifications under the Prevention of Food Adulteration Act, 1954

III. Drugs and cosmetics (First Amendment) Rules 1987

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (KUMARI SAROJ KHAPARDE): Sir, I beg to lay on the Table:

I. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) Annual Report of the All India Institute of Speech and Hearing, Mysore, for the year 1986-87.

(ii) Annual Accounts of the All India Institute of Speech and Hearing, Mysore, for the year 1986-87.

(iii) Review by Government on the working of the Institute.

[Placed in Library. *See* No. LT-5115/87 for (i) to (iii).]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health), under sub-section (2) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954: